



Neutral Citation No - 2026:AHC:23744

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ब संख्या - 2026 की 437

महेश

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सुरेश यादव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अनुतोष हेतु दाखिल की गई है:-

"i) प्रतिवादी संख्या 3 (जिला उप संचालक चकबंदी, जिला बाँदा) को यह समादेशित करते हुए परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए कि वे याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दिनांक 30.07.2025 के अभ्यावेदन को विधि अनुसार विनिर्णीत करें तथा जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 6(2) के दृष्टिगत वर्तमान रिट याचिका की लंबित अवधि के दौरान न्याय के हित में ग्राम गरगपुर, परगना एवं तहसील अतर्रा, जिला बाँदा के खाता संख्या 82 II के सम्बन्ध में वाद संख्या 392 में दिनांक 02.08.2004 को पारित आदेश को कार्यान्वित करें।"

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. याचिकाकर्ता की व्यथिति यह है कि राज्य के अधिकारीगण उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत प्रतिपादित विधि के अनुसार सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा दिनांक 02.08.2004 को पारित आदेश को प्रभावी नहीं कर रहे हैं।

3. यह निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत इकाई/ग्राम को उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत वि-अधिसूचित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत चकबंदी संक्रियाओं के निरस्तीकरण से पूर्व, सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा दिनांक 02.08.2004 को पारित आदेश अंतिमता प्राप्त कर चुका है क्योंकि किसी भी पक्षवार द्वारा उसे किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है। अतः उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत प्रतिपादित विधि के अनुसरण में राज्य के अधिकारीगण भूमि अभिलेख में उक्त आदेश को कार्यान्वित करने हेतु विधिक रूप से आबद्ध हैं।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता की व्यथिति का निराकरण उप संचालक चकबंदी द्वारा अधिक उचित रूप से किया जा सकता है, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा नियत अवधि के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा अपनी व्यथिति उपदर्शित करते हुए प्रस्तुत किए जाने वाले नवीन अभ्यावेदन को विनिर्णीत करने हेतु निर्देशित किया जा सकता है।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, इस विषय को लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अतः यह न्यायालय प्रकरण के गुणागुण पर विचार किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिमता से निस्तारित करना उचित समझता है, एवं याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वे आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर इस आदेश की प्रमाणित प्रति एवं वर्तमान रिट याचिका की स्व-अभिप्रमाणित प्रति के साथ वर्तमान रिट याचिका में उल्लिखित अपनी व्यथितियों के सम्बन्ध में जिला उप संचालक चकबंदी (प्रतिवादी संख्या 3) के समक्ष नवीन अभ्यावेदन दाखिल करें, जो स्वयं अथवा विधि के अन्तर्गत यथापेक्षित सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से, उक्त अभ्यावेदन पर विधि अनुसार शीघ्रातिशीघ्र, अधिमानतः तत्पश्चात् तीन माह की अवधि के भीतर, यदि कोई अन्य विधिक व्याघात न हो, विचार कर उसे विनिर्णीत करेंगे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. उपर्युक्त प्रेक्षण के साथ, वर्तमान रिट याचिका अंतिमता से निस्तारित की जाती है।

4 फरवरी, 2026

वी.के.जी.

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"